



—: कार्यालय :—

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल।

Email – dfo-latehar@gov.in

Mobile No. –8987790240

Pin Code - 829206

पत्रांक.....1076...../ दिनांक.....17.05.2025...../

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।

विषय :- मेसर्स हिण्डाल्को इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा लातेहार वन प्रमण्डल अंतर्गत चकला कोल ब्लॉक के लिए प्रस्तावित रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग निर्माण हेतु 6.80 हे० वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक 771 दिनांक 21.08.2024।
2. प्रयोक्ता संस्थान का पत्रांक 30 दिनांक 07.05.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि मेसर्स हिण्डाल्को इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा चकला कोल ब्लॉक के लिए प्रस्तावित रेल एवं सड़क मार्ग निर्माण हेतु 6.80 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव में प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक 771 दिनांक 21.08.2024 द्वारा छः बिन्दुओं पर पृच्छा की गयी है, जिसका निराकरण प्रतिवेदन प्रयोक्ता संस्थान का पत्रांक 30 दिनांक 07.05.2025 (छाया प्रति संलग्न) एवं पत्रांक 35 दिनांक 16.05.2025 द्वारा ऑनलाईन दिनांक 16.05.2025 को समर्पित किया गया। किये गये पृच्छा का निराकरण प्रतिवेदन वन प्रमण्डल पदाधिकारी का मन्तव्य के साथ संलग्न कर सात प्रतियों में भेजी जा रही है।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
लातेहार वन प्रमण्डल।

16.5.25

चकला कोल ब्लॉक के लिए प्रस्तावित रेल मार्ग एवं सड़क निर्माण हेतु किये गये पृच्छा का प्रतिवेदन

क्र0	बिन्दुवार पृच्छा	पृच्छा का निराकरण	वन प्रमण्डल पदाधिकारी का मतव्य										
1	प्रस्ताव के पार्ट-1 के कंडिका-B-2.4 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Component Wise Breakup स्पष्ट नहीं किया गया है।	प्रस्ताव के पार्ट-1 के कंडिका-B-2.4 में Component Wise Breakup स्पष्ट कर दिया गया है। तथा Rail & Road के उपयोग के लिए अधिसूचित वन भूमि, जंगल झाड़ी (Deemed Forest) एवं गैर वन भूमि का Plot Wise भूमि विवरण के साथ नक्शा संलग्न है। अनुलग्नक - 1 एवं 2A & 2B	प्रयोक्ता संस्थान द्वारा FORM A, Part-1 के कंडिका B-2.4 में component wise breakup Road & Railway का Online upload कर दिया गया है एवं Hard copy अनुलग्नक-1, 2A & 2B पर संलग्न है।										
2	प्रस्ताव के पार्ट-1 के कंडिका-C में DGPS Map अपलोड नहीं है। इसे अपलोड किया जाना आवश्यक है।	प्रस्ताव के पार्ट-1 के कंडिका-C के अनुपालन में DGPS Map अपलोड कर दिया गया है।	प्रयोक्ता संस्थान द्वारा Form-A, Part-1 के कंडिका C(4) में DGPS Map Online upload कर दिया गया है।										
3	प्रस्ताव में Barest in Minimum use of forest land संबंधी वचनबद्धता अप्राप्त है।	प्रस्ताव में Barest in Minimum use of forest land के अनुपालन से संबंधित वचनबद्धता पत्र संलग्न कर दिया गया है। अनुलग्नक - 3	प्रयोक्ता संस्थान द्वारा वचनबद्धता पत्र संलग्न कर दिया गया है (अनुलग्नक-3)।										
4	प्रस्ताव में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि में Voilation नहीं किये जाने का वचनबद्धता अप्राप्त है।	प्रस्तावित वनभूमि में Violation नहीं किये जाने के संबंध में वचनबद्धता पत्र संलग्न कर दिया गया है। अनुलग्नक - 4	प्रस्तावित रोड एवं रेलवे मार्ग का स्थलीय जाँच वन क्षेत्र पदाधिकारी से कराया गया। जाँच के कम में पाया गया कि प्रयोक्ता संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार का कोई Violation नहीं किया गया है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि में Violation नहीं किये जाने के संबंध में वचनबद्धता संलग्न किया गया है (अनुलग्नक-4)।										
5	विषयगत प्रस्ताव हेतु वैकल्पिक (Alternative) मार्ग का KML अनुपलब्ध है। Alternative के Option-2 में अधिसूचित वनभूमि का रकबा शून्य एवं जंगल-झाड़ी 0.113 एकड़ है। जबकि प्रस्तावित परियोजना के लिये अधिसूचित वनभूमि 15.25 एकड़ एवं जंगल-झाड़ी भूमि 1.55 एकड़ दर्शाया गया है। Alternative के	प्रस्तावित रेल एवं सड़क मार्ग के साथ दो वैकल्पिक (Alternative) मार्ग का KML संलग्न है। अनुलग्नक-5 (Pendrive) राज्य सरकार द्वारा की गयी पृच्छा के आलोक में कहना है कि अधियाची संस्था के द्वारा प्रस्तावित रेल एवं सड़क मार्ग के साथ दो वैकल्पिक रेल एवं सड़क मार्ग का चयन किया गया था, जिसका विवरण निम्नवत् है :- <table><tr><th>क्र0</th><th>विवरण</th><th>प्रस्तावित रेल एवं सड़क मार्ग रकबा (एकड़ में)</th><th>वैकल्पिक मार्ग -1 रकबा (एकड़ में)</th><th>वैकल्पिक मार्ग -2 रकबा (एकड़ में)</th></tr><tr><td>1</td><td>अधिसूचित वनभूमि</td><td>15.25</td><td>9.36</td><td>0.00</td></tr></table>	क्र0	विवरण	प्रस्तावित रेल एवं सड़क मार्ग रकबा (एकड़ में)	वैकल्पिक मार्ग -1 रकबा (एकड़ में)	वैकल्पिक मार्ग -2 रकबा (एकड़ में)	1	अधिसूचित वनभूमि	15.25	9.36	0.00	प्रयोक्ता संस्थान द्वारा रोड एवं रेलवे मार्ग का वैकल्पिक मार्ग के साथ प्रस्तावित मार्ग का KML फाईल पेन ड्राइव में संलग्न है (अनुलग्नक-5)। प्रस्तावित सड़क के अतिरिक्त वैकल्पिक मार्ग-1 में कुल रकबा तथा वन भूमि का रकबा कम है परन्तु प्रस्तावित लम्बाई अधिक है तथा मार्ग घनी आबादी क्षेत्र से गुजर रहा है एवं 43 मकान बने हुए है। वैकल्पिक मार्ग 2 में वन भूमि का रकबा काफी कम है परन्तु कुल रकबा एवं सड़क की लम्बाई काफी अधिक हो रहा
क्र0	विवरण	प्रस्तावित रेल एवं सड़क मार्ग रकबा (एकड़ में)	वैकल्पिक मार्ग -1 रकबा (एकड़ में)	वैकल्पिक मार्ग -2 रकबा (एकड़ में)									
1	अधिसूचित वनभूमि	15.25	9.36	0.00									

Option-2 को प्रस्तावित क्यों नहीं किया गया है।

2	जंगल झाड़ी	1.55	2.23	0.113
3	गैर वनभूमि	11.08	8.41	45.807
4	कुल रकबा (एकड़ में)	27.88	20.00	45.92
5	सरेखण की कुल लम्बाई (कि०मी०)	3.359	3.536	5.198
6	प्रभावित मकानों की संख्या	0	43	68

न्यूनतम वनभूमि क्षेत्र के उपयोग के आधार पर तीन वैकल्पिक मार्ग का चयन किया गया है जबकि वैकल्पिक मार्ग 1 एवं 2 की कुल लम्बाई प्रस्तावित रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग से अधिक है। वैकल्पिक मार्ग 1 एवं 2 घनी आदिवासी आबादी और दुर्गम (Undulating) क्षेत्र से होकर गुजरती है, जिससे समाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। इस कारण विस्थापन और रेल मार्ग निर्माण की लागत परियोजना की उपयुक्तता के अनुरूप नहीं है। साथ ही LARR Act 2013 के Section-8 (c), और झारखण्ड LARR Act 2015 के फार्म-1 Appendix-v के बिन्दु क्रमांक 3 के अनुसार "परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि के केवल न्यूनतम क्षेत्र के अर्जन की प्रस्थापन की जाए"।

अनुलग्नक - 6

प्रस्तावित रेल एवं सड़क मार्ग को रेलवे विभाग द्वारा टोरी - शिवपुर में रेल लाईन से बिराटोली रेलवे साइडिंग के बाद Take up Point सुनिश्चित करते हुए प्रस्तावित रेल लाईन सरेखण को अनुमोदित किया गया है। जिसकी प्रति संलग्न है। अनुलग्नक - 7

विदित हो कि चकला कोल ब्लॉक हेतु एक अन्य प्रस्ताव खनन (503.578 हे०) के लिए प्रस्तावित है, जिसके item wise breakup में सड़क रेल एवं Infrastructure-30.0 हे०, वनभूमि का रकबा भी सम्मिलित किया गया है। उसके अतिरिक्त चकला कोल ब्लॉक के लिए प्रस्तावित रेल एवं सड़क मार्ग निर्माण हेतु अलग से 6.80 हे०

चकला कोल ब्लॉक पूर्व में Essar Power Limited को 1000 मेगा वाट पावर प्लांट जिला- लातेहार के लिए कैपटिव पावर हेतु भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 38011/11/2006-CA-I (Part) दिनांक 20.02.2007 के माध्यम से आवंटित किया गया था। अनुलग्नक-8

भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 13016/32/2007-CA-I (Part) दिनांक 10.06.2008 के माध्यम से चकला कोल ब्लॉक का माइन प्लान अनुमोदित किया गया था, जिसके पार्ट-01 के बिन्दु क्रमांक 1.1 में निहित है कि चकला कोल ब्लॉक का आवंटन 1000 मेगा वाट पावर प्लांट चकला, जिला- लातेहार के लिए कैपटिव पावर के लिए आवंटित है एवं बिन्दु क्रमांक 1.2 में

है तथा मार्ग के सरेखन में 68 घर आ रहे हैं। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचित किया गया है कि वैकल्पिक मार्ग-1 एवं 2 घनी आदिवासी आबादी एवं दुर्गम क्षेत्र से होकर गुजरती है जिससे समाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। इस कारण विस्थापन और रेल मार्ग निर्माण की लागत परियोजना की उपयुक्तता के अनुरूप नहीं है। साथ ही LARR Act 2013 के Section-8 (c), और झारखण्ड LARR Act 2015 के फार्म-1 Appendix-v के बिन्दु क्रमांक 3 के अनुसार "परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि के केवल न्यूनतम क्षेत्र के अर्जन की प्रस्थापन की जाए"।

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि प्रस्तावित रेल एवं सड़क मार्ग को रेलवे विभाग द्वारा टोरी - शिवपुर में रेल लाईन से बिराटोली रेलवे साइडिंग के बाद Take up Point सुनिश्चित करते हुए प्रस्तावित रेल लाईन सरेखण को अनुमोदित किया गया है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित अभिलेख अनुलग्नक-6 एवं 7 पर संलग्न है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में प्रस्तावित मार्ग पर विचार किया जा सकता है।

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट की गयी है। इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित अभिलेख अनुलग्नक-8, 9, 10A & 10B पर संलग्न है।

वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव (FP/JH/RAIL/156521/2022) समर्पित है। इस तरह प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वनभूमि अपयोजन के लिये कुल दो परियोजनायें समर्पित किया गया है। जबकि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा निर्गत गाइडलाईन दिनांक 29.12.2023 के चैप्टर 7 के अनुसार उपरोक्त दोनों परियोजनाओं के लिये एक ही समेकित प्रस्ताव समर्पित किया जाना वांछनीय है।

निहित है कि कोयले का प्रेषण बेल्ट कन्वेयर के माध्यम से माइंस से पावर प्लांट तक किया जाएगा। **अनुलग्नक-9** पूर्व प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा चकला कोल ब्लॉक में वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव में कोयले के प्रेषण हेतु किसी भी प्रकार की वन भूमि का उपयोग नहीं दर्शाया गया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश के द्वारा वर्ष 2014 में कोल ब्लॉक के आवंटन को रद्द करने के बाद कोल मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा वर्ष 2021 में निलामी के माध्यम से चकला कोल ब्लॉक मेसर्स हिण्डाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को आवंटित किया गया।

कोल माइंस Special Provision ACT, 2015 के सेक्सन 8(4) एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी वन भूमि अपयोजन के मार्गदर्शिका 2019 एवं 2023 के पैरा 5.4(II) के अनुसार चकला कोल ब्लॉक वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव हिण्डाल्को इंडस्ट्रीज लि0 को हस्तांतरित किया गया है।

अनुलग्नक-10A & 10B

चकला कोल ब्लॉक खनन (503.578 हे0) के लिए वन भूमि अपयोजन प्रस्तावित है, जिसके item wise breakup में सड़क रेल एवं Infrastructure-30.0 हे0 वन भूमि का रकबा प्रस्तावित माइनिंग लीज क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है एवं माइनिंग लीज क्षेत्र के बाहर के लिए अलग से 6.80 हे0 वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव (FP/JH/RAIL/156521/2022) समर्पित किया गया है।

पूर्व प्रयोक्ता अभिकरण Essar Power Limited के कैपटिव पावर कोल ब्लॉक, वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव में कोल प्रेषण हेतू रेल एवं सड़क मार्ग की योजना के बिना ही राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन के लिए FAC को समर्पित किया गया था, जिसे कोल ब्लॉक Cancellation के पश्चात Vesting Order के माध्यम से व्यवसायिक उपयोग हेतु पुनः आवंटित चकला कोल ब्लॉक के लिए वर्तमान प्रयोक्ता अभिकरण (हिण्डाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड) द्वारा रेल एवं सड़क मार्ग के लिए कोल ब्लॉक लीज क्षेत्र के बाहर पृथक से वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव समर्पित किया गया है।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
लार्तेहार वन प्रमण्डल।